न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 387 / 2026
भरगामा थाना कांड संख्या– 306 / 2025

राज कुमार यादव.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

30-06-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक / अभियुक्त राज कुमार यादव, पिता–मदन यादव की ओर से भरगामा थाना कांड संख्या 306 / 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 127(2), 103(1), 303(2), 308(6), 326(g), 324(6), 352, 351(2)(3) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 24.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में प में अभियोजन वाद सूचिका हबिया देवी के अनुसार यह है कि उसका पूर्व से ही उसके गॉव के गुड्डू यादव के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। गुड्डू यादव सूचिका की बहन सीता देवी से अपने हिस्से का जमीन खरीद लिया था। जमीन लेने के बाद से ही गुड्डू यादव एवं उसके पति मृतक नयन यादव के बीच विवाद शुरू हो गया था। इस संबंध में मामला न्यायालय में चला था, परन्तु गुड्डू यादव अपने साथी के साथ मिलकर हमेशा वाद विवाद करते रहता था। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण एवं 10–15 अन्य अज्ञात लोग मिलकर हथियार से लैष होकर आया और सूचिका के पति नयन यादव जिस कमरे में बंद थे, सभी में पेट्रोल छिड़कर आग लगा दिया। सूचिका के सामने उसके पति को बंद कमरे में आग लगाकर जिंदा जलाकर मार दिया और दरवाजे पर बंधा हुआ तीन भैंस एवं उसके बच्चा को भी अपने साथ ले गया। सुबह लगभग 06:30–07:00 बजे के आसपास जब पुलिस आयी तब तक उसके पति नयन यादव के आग से जलने के कारण मृत्यु हो चुकी थी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा पूर्व में इसके अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। अभियुक्त को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक का कथित घटना में कोई

संलिप्तता नहीं है। उभय पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद है। आवेदक दिनांक 24.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 127(2), 103(1), 303(2), 308(6), 326(g), 324(6), 352, 351(2)(3) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा मामले को सत्य पाते हुए आवेदक के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया के न्यायालय एवं इस न्यायालय से पूर्व में इस वाद के सह–अभियुक्तों का जमानत आवेदन खारिज किया जा चुका है। कांड दैनिकी के पारा 10, 46, 51 व 55 में वादिनी एवं साक्षियों ने तथाकथित घटना का समर्थन किये हैं। कांड दैनिकी के पारा 06 में मृतक नयन यादव का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा मृतक नयन यादव की मृत्यु आग से जलकर मृत्यु होना प्रतीत होता है, बताया गया है। कांड दैनिकी के पारा 08 में मृतक को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, का उल्लेख किया गया है। आवेदक के विरूद्ध मृतक को आग में जलाकर हत्या करने का विशिष्ट एवं गंभीर आरोप है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।